राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33 / प्रयो0सहा0 / सीधी भर्ती / (एफ–164) / 2018 /   दिनांकः

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11894 / 2018 श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री रेवती प्रसाद शर्मा बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 की पालना में याचिकाकर्ता को प्रयोगशाला सहायक के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ. 15(1) / एफडी (रूल्स) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में प्रयोगशाला सहायक पद की पे मेट्रिक्स, L-5 में नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 14600 / – प्रतिमाह पर दो वर्ष के प्रोबेशनल काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान में किया जाता है:–

Sr. No.	Appl No	Candi. Name	Father's Name	DOB	Gen.	Cat	Sec %	Bonus	Merit	Place of posting
1	17120002968	Anil Kumar Sharma	Revti Prasad Sharma	01-Jul-80	M	GEN	41.09	15	49.93	Under CMHO, Alwar

1. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश कमांक नर्सिंग / पैरामेडीकल / सीधी भर्ती–2013 / 2015 / 390 दिनाँक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग / पैरामेडीकल / सीधी भर्ती–2013 / 2015 / 391 दिनाँक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हे प्रयोगशाला सहायक के पद की नियमित पे मेट्रिक्स L-5 में न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1) / एफडी / रूल्स / 03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री / सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि को भी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित की जानी है।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
6. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है ।
7. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगें।
8. **उक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प0 1 (1) कार्मिक / (क–2) / 2016 / दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र, दस्तावेज–फर्जी / परिवर्तित / कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक / दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
10. विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देंगे।
11. उक्त अभ्यर्थी को दिनांक 26.11.2018 तक संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

12. उक्त नियुक्तियाँ संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
13. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यदि विवाह पंजीयन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगें। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33/प्रयो0सहा0/सीधी भर्ती/(एफ–164)/2018/405 दिनांकः 13/11/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, (जन स्वा./प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर।
6. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
7. उप निदेशक(प्रशा0) मुख्यालय एवं समन्वयक।
8. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख हैं कि अभ्यर्थी से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनाँक **16.11.2018** तक विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें तथा निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर कमेटी की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि मनोनित करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश कमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को उनको कार्यग्रहण करावें :–
   (i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग(ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी /सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
   (ii) अभ्यर्थी का चयन ओबीसी/एसबीसी वर्ग में होने पर कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन किमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावें।
   (iii) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (iv) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।
   (v) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।
   (vi) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत कराना होगा।
   (vii) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।
   (viii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
11. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
12. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर